राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान,जयपुर

भीम BhIM भारत इंटीग्रेशन मिशन

क्रमांकः–स.3(16)(11)विविध/अभि./14/ 306 दिनांकः– 21-02-2024.

परिपत्र

महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर द्वारा यह अवगत करवाया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरणों में बाद अनुसंधान पत्रावली संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन (विशिष्ठ लोक अभियोजक) को वास्ते अभियोजन स्क्रूटनी हेतु प्रेषित की जाती है। स्क्रूटनी में प्रायः यह देखा गया है कि संबंधित सहायक निदेशक अभियेाजन (विशिष्ठ लोक अभियोजक) द्वारा अभियोजन स्क्रूटनी में मात्र अनुसंधान रह गई कमियों का ही उल्लेख करते हैं और उसकी कमी पूर्ति बाबत लिखा जाता है संबंधित धारा मय अधिनियम का उल्लेख नहीं किया जाता है।

अतः भ्रष्टाचार निवारण से सम्बन्धित न्यायालयो में पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन (विशिष्ठ लोक अभियोजक) को निर्देशित किया जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज आपराधिक प्रकरणों में स्क्रूटनी हेतु प्राप्त पत्रावलियों में अभियुक्त का नाम मय धारा तथा साक्ष्य के आधार अंकित करें अर्थात यह स्पष्ट करें कि किस धारा मय अधिनियम का अपराध बनता है, इसके लिए सामपुष्टिक साक्ष्य है अथवा नहीं, यदि अपराध नही बनता है तब क्या सामपुष्टिक साक्ष्य नहीं है तथा इसकी पूर्ति के लिए क्या किया जाना अपेक्षित है?

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
5. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, (न्याय)/(अभि.)।
6. संयुक्त निदेशक अभियोजन (सतर्कता)।
7. उप निदेशक अभियोजन, (मुख्यालय)।
8. सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)।
9. संबंधित संयुक्त निदेशक अभियोजन, संभाग को भेजकर लेख है कि आपके अधीनस्थ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अभियोजन कार्यालयों में पदस्थापित सहायक निदेशक अभियोजन (विशिष्ठ लोक अभियोजक) से उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित कराएं।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAVI SHARMA
<sharma.ravirhjs@gmail.com>.
Digitally Signed by RAVI SHARMA
Designation: Director
Date :13-02-2024 02:54:26

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Secretariat, Jaipur, Pincode: 302005
Phone & Fax: 0141-2227806 Mail ID: Prosecution@Rajasthan.gov.in